डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143] रायपुर, रविवार, दिनांक 1 जुलाई 2001—आषाढ़ 10, शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2001

क्रमांक 356/परि.वि./2001.—छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किये जायें, अर्थात :—

"9-क 'स्पेशल टोकन' का जारी करना—(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, मालयान का कोई स्वामी जिसने एक विशिष्ट कालावधि के लिये कर का भुगतान कर दिया हो, मासिक 'स्पेशल टोकन' के लिये नीचे विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान कर आवेदन कर सकेगा—

मालयान जिसका अधिकतम लदान वजन		मासिक फीस
1.	7,500 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 1,250/-
2.	7,500 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 12,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 1,750/-
3.	12,000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 18,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 2,500/-
4.	18,000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 25,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 3,500/-
5.	25,000 कि. ग्रा. से अधिक है	रु. 5,000/-

(2) यह 'स्पेशल टोकन' उस प्रकार का होगा तथा कराधान प्राधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा जैसा कि परिवहन आयुक्त द्वारा विहित किया जाये. ऐसा जारी किया गया 'स्पेशल टोकन' यान के आगे के विंड-स्क्रीन के बायें ओर प्रदर्शित किया जायेगा.

(3) यान जिस पर 'स्पेशल टोकन' प्रदर्शित किया गया हो, उसे सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा जांच नहीं किया जायेगा.''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जून 2001

क्रमांक 358/परिवहन/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक 1-7-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. राव, अवर सचिव.

Raipur, the 18th June 2001

No. 356/TR.D./2001.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Niyam, 1991, namely :—

AMENDMENT

In the said rules—
After rule 9, the following rule shall be inserted namely :—

"9-A Issue of 'Special Token'—(1) Notwithstanding anything contained in these rules, any owner of a goods carriage, who has paid the tax for a particular period, may apply for a monthly 'Special Token', on payment of the fee mentioned below :—

For the goods carriage the Gross Laden Weight of which		Monthly fee
1.	Does not exceed 7,500 kg.	Rs. 1,250/-
2.	Exceed 7,500 kg. but does not exceed 12,000 kg.	Rs. 1,750/-
3.	Exceed 12,000 kg. but does not exceed 18,000 kg.	Rs. 2,500/-
4.	Exceed 18,000 kg. but does not exceed 25,000 kg.	Rs. 3,500/-
5.	Exceed 25,000 kg.	Rs. 5,000/-

(2) This 'Special Token' will be of the type, and issued by the Taxation Authority, in the manner prescribed by the Transport Commissioner. The 'Special Token' so issued shall be exhibited on the left-hand side of the front windscreen of the vehicle.

(3) An officer below the rank of Assistant Regional Transport Officer shall not check vehicle exhibiting this 'Special Token."

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.